

जीवन बीमा के लिए फर्जी कॉल और झूठे वादों से बचें उपभोक्ता



Anup Raj

सीईओ, रिलायंस लाइफ इश्योरेंस

फर्जी कॉल और गलत वादे कर इंश्योरेंस पॉलिसी की बिक्री से पूरा जीवन बीमा उद्योग परेशान है और इसे रोकने के लिए कई कदम उठाए गए हैं। इसमें उपभोक्ता जागरूकता के लिए अभियान से लेकर इसे रोकने के उपाय तक शामिल है, क्योंकि इससे न सिर्फ कारोबार पर प्रभावित होता बल्कि उपभोक्ता को भी

देश भर में 200 प्राथमिकी (एफआईआर) दर्ज कराई जा चुकी है। हालांकि इस दिशा में पढ़ताल के बांधित नतीज़ नहीं मिल सके हैं, क्योंकि ठगी करने वाला कभी भी व्यक्तिगत तौर पर उपभोक्ता से नहीं मिलता। पूरा कारोबार फोन पर ही चलता है। एक बार फोन पर उपभोक्ता का विश्वास जीतने के बाद कृपयर वाले को कागजात लेने के लिए भेजा जाता है। इससे बचने का एक ही तरीका है कि उपभोक्ता अपनी ओर इस तरह की पेशकश अथवा वादों से पूरी तरह सतर्क रहें।

बचाव का सीधा फॉर्मूला : फॉर्म में पूरी और सही जानकारी दें, पॉलिसी की शर्तें और फायदों को समझें, फ्रॉड से बचने के लिए किसी भी तरह का भुगतान चेक के ही माध्यम से करें। इससे उपभोक्ता का बचाव हो सकेगा। इस तरह की फर्जी कॉल के बारे में उपभोक्ता को कंपनी से शिकायत करनी चाहिए। अथवा पुलिस में प्राथमिकी दर्ज करानी चाहिए। शिकायत में फोन करने वाले का टेलीफोन नंबर और समय का ब्योरा होना चाहिए।

ठेस पहुंचती है। फर्जी कॉल के जरिए उपभोक्ता को पॉलिसी बेचने के लिए बीमा उद्योग में एक शब्द इस्तेमाल किया जाता है, जिसे स्यूरियस कॉलिंग कहते हैं। इसमें उगों का एक समूह होता है जो उपभोक्ता को इंश्योरेंस कंपनी का कर्मचारी अथवा प्रतिनिधि बनकर लुभावनी स्कीम की पेशकश करता है और उपभोक्ता इस लुभावने ऑफर से खुद को बचा नहीं पाते।

आम तौर पर फर्जी कॉल करने वाले उपभोक्ता से कहते हैं कि उनकी चालू पॉलिसी पर कंपनी ने बड़ा बोनस जारी किया है, लेकिन इसके लिए उन्हें एक नई पॉलिसी खरीदनी पड़ेगी। अन्य लुभावनी पेशकश में उपभोक्ता से कहा जा सकता है कि उनकी पॉलिसी को छों में बोनस के भुगतान के लिए चुना गया है। इसे रोकने के लिए बीमा नियामक इरडा ने जीवन बीमा कंपनियों से उपभोक्ता के लिए जागरूकता अभियान चलाने को कहा है ताकि देश भर में इन फर्जी कॉल करने वालों को रोका जा सके। इस तरह उपभोक्ता को चुना लगाने वालों के खिलाफ



सट

कैसे होता है फर्जीगाड़ा

- उपभोक्ता को एक व्यक्ति फोन करता है, जो अपने आप को कंपनी का एजेंट अथवा कर्मचारी बताता है।
- उपभोक्ता को लुभावनी पेशकश की जाती है, इसमें ब्याज मुक्त लोन, अतिरिक्त बोनस आदि शामिल होता है।
- पेशकश पाने के लिए तत्काल कुछ फीसदी चूनतम भुगतान करने का कहा जाता है।
- फील्ड स्टाफ को तुरंत नगदी अथवा चेक और कागजात लेने के लिए भेजा जाता है।
- उपभोक्ता अक्सर आवेदन फॉर्म को पूरा नहीं भरते और फर्जी एजेंसी मनचाही जानकारी भर देती है और भारी कमीशन वाली पॉलिसी जारी कर दी जाती है।
- इसके बाद यह समूह उपरोक्त उपभोक्ता को छोड़कर नए नंबर के साथ दूसरे शिकार की खोज करता है।